**भारत सरकार**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
**पशुपालन और डेयरी विभाग**
**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-2747**
**दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न**

**एलएचडीसीपी के अंतर्गत डेयरी पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम**

**2747. श्री कौशलेन्द्र कुमारः**

**श्रीमती लवली आनंदः**

**श्री रामप्रीत मंडलः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के अंतर्गत देश में डेयरी पशुओं के लिए कोई टीकाकरण कार्यक्रम चला रही है;

(ख) क्या उक्त टीकाकरण डेयरी पशुओं को लगाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) उक्त टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक टीकाकरण किए गए पशुओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**
**(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)**

(क) और (ख) विभाग पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत सभी बोवाईनों में खुरपका-मुँहपका रोग (FMD) जैसे रोगों के टीकाकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% सहायता प्रदान करता है। ब्रुसेलोसिस का टीका 4 से 8 महीने की सभी बछड़ियों को लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्यों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार लम्पी त्वचा रोग (LSD), हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया (HS), ब्लैक क्वार्टर (BQ) जैसे रोगों के टीकाकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 60:40 के अनुपात में, उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्यों को 90:10 के अनुपात में और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) बोवाईनों को टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार टीके लगाए जाते हैं, जैसे एफएमडी के लिए 180 दिनों के अंतराल पर, बोवाईन बछड़ियों (4-8 महीने की आयु) के लिए एक बार और एलएसडी, एचएस, बीक्यू जैसे रोगों के लिए वार्षिक रूप से, ताकि रोग को नियंत्रित किया जा सके और अंततः उनका उन्मूलन किया जा सके।

(घ) एलएचडीसीपी के तहत अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार टीकाकरण किए गए पशुओं की संख्या इस प्रकार है:

**(लाख में)**

| **क्रम. संख्या.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **एफएमडी, वर्ष 2020 से (दिनांक 30.7.25 तक)** | **ब्रुसेला, वर्ष 2021 से (दिनांक 30.7.25 तक)** | **एलएसडी, वर्ष 2021 से (दिनांक 30.7.25 तक)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 0.41 | 0 | 0.01 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 543.81 | 29.36 | 35.76 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 13.62 | 0.49 | 0.00 |
| 4 | असम | 244.21 | 11.08 | 10.00 |
| 5 | बिहार | 727.64 | 40.69 | 362.79 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1.13 | 0.07 | 0.00 |
| 7 | छत्तीसगढ | 409.84 | 7.75 | 83.72 |
| 8 | डीएनएच और डीडी | 0.68 | 0.00 | 0.01 |
| 9 | दिल्ली | 7.90 | 0.26 | 0.25 |
| 10 | गोवा | 3.02 | 0.03 | 7.17 |
| 11 | गुजरात | 983.33 | 21.78 | 174.79 |
| 12 | हरियाणा | 271.86 | 12.64 | 17.36 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 84.56 | 3.23 | 23.47 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 146.03 | 1.93 | 19.64 |
| 15 | झारखंड | 365.99 | 19.06 | 59.70 |
| 16 | कर्नाटक | 685.47 | 26.59 | 183.97 |
| 17 | केरल | 65.63 | 1.90 | 19.06 |
| 18 | लद्दाख | 3.88 | 0.10 | 0.00 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1,193.95 | 41.09 | 301.15 |

| क्रम. संख्या. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | एफएमडी, वर्ष 2020 से (दिनांक 30.7.25 तक) | ब्रुसेला, वर्ष 2021 से (दिनांक 30.7.25 तक) | एलएसडी, वर्ष 2021 से (दिनांक 30.7.25 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | महाराष्ट्र | 1,023.77 | 28.02 | 472.04 |
| 22 | मणिपुर | 7.64 | 0.41 | 0.00 |
| 23 | मेघालय | 14.22 | 0.16 | 2.38 |
| 24 | मिजोरम | 0.51 | 0.01 | 0.11 |
| 25 | नागालैंड | 2.68 | 0.07 | 0.02 |
| 26 | ओडिशा | 525.43 | 12.94 | 257.69 |
| 27 | पुदुचेरी | 4.02 | 0.18 | 0.00 |
| 28 | पंजाब | 325.00 | 6.50 | 58.65 |
| 29 | राजस्थान | 768.27 | 23.30 | 268.46 |
| 30 | सिक्किम | 3.04 | 0.07 | 3.07 |
| 31 | तमिलनाडु | 563.00 | 24.00 | 60.54 |
| 32 | तेलंगाना | 325.81 | 7.41 | 59.69 |
| 33 | त्रिपुरा | 32.57 | 0.31 | 2.50 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2,331.89 | 110.37 | 469.87 |
| 35 | उत्तराखंड | 115.18 | 3.03 | 52.69 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 709.17 | 42.45 | 1.63 |
| | **कुल** | **12,505.23** | **477.25** | **3008.20** |

*****